06

संख्या– 1802 /XXVIII–5–2013–21 / 2006

प्रेषक,

अतर सिंह,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग– 5 देहरादून, दिनांकः सितम्बर, 2013

विषयः सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खाड़ी, जनपद टिहरी गढ़वाल हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0–128 / XXVIII–4–2006– 21 / 2006, दिनांक 27.03.2006 एवं शासनादेश सं0–1242 / XXVIII–5–2011–21 / 2006, दिनांक 13.09.2011 तथा आपके पत्रांक–7प / 1 / सी0एच0सी0 / 43 / 2006 / 25181, दिनांक 12.09.2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ हैं कि श्री राज्यपाल महोदय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खाड़ी, जनपद टिहरी गढ़वाल के निर्माणाधीन कार्यो को पूर्ण किये जाने हेतु स्वीकृत पुनरीक्षित की धनराशि ₹306.86 लाख के सापेक्ष पूर्व में अवमुक्त धनराशि ₹296.88 लाख के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2013–14 में सम्पूर्ण अवशेष धनराशि ₹9.98 लाख (रूपये नौ लाख अट्ठानबे हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त करते हुए, निम्न शर्तो के अधीन व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1. उक्त धनराशि आहरित कर संबंधित कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यदायी संस्था को धनराशि हस्तान्तरित करने से पूर्व कार्यदायी संस्था से कार्य को निर्धारित समय सारणी के अनुसार समयबद्ध ढ़ंग से स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किये जाने का प्रमाण पत्र अवश्य प्राप्त कर लिया जायेगा ।
2. अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण व्यय यथाशीघ्र करते हुये प्रत्येक दशा में कार्य पूर्ण कराकर भवन विभाग को हस्तगत करा लिया जाना सुनिश्चित किया जाय। विलम्ब के कारण किसी भी दशा में आगणन पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. स्वीकृत धनराशि का आहरण / व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के सुसंगत प्राविधानों एवं शासन द्वारा मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
4. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश सं0–284 / XXVII (1) / 2013, दिनांक 30.03.2013 में इंगित निर्देशों का अनुपालन करते हुए किया जायेगा।
5. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
6. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला में अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।। आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें।

..........2 / –

7. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0–2047/XiV–219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।
8. आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
9. कार्यदायी संस्था को धनराशि उपलब्ध कराये जाने से पूर्व वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 475/XXVII(7)/2008 दिनांक 15.12.08 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर एम0ओ0यू0 करना सुनिश्चित किया जायेगा ।
10. उक्त के संबंध में होने वाला व्यय आय–व्ययक वर्ष 2013–14 के अनुदान सं0–12 लेखाशीर्षक 4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 02–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें, 104–सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 03–सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना, 0302–सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण (विस्तार अंश) 00–आयोजनागत, 24– वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–413/XXVIII(1)/2013, दिनांक 10.06.2013 में निहित प्रतिबन्धों एवं दिशा–निर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अतर सिंह)
उप सचिव

संख्या–1802(1)/XXVIII–5–2013–21/2006 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नालिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ऑबेराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून/नई टिहरी।
4– मुख्य चिकित्साधिकारी, नई टिहरी।
5– इकाई प्रभारी, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0, नई टिहरी।
6– बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
7– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–3/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0
8– मीडिया सेंटर, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून
9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
उप सचिव।